सं0सं0–6 / एन0–08–14 / 2014–.......

# निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
# बिहार, पटना
## आदेश

स्वास्तिक कल्याण केन्द्र, जनक निवास, आनन्द बिहार, रूकनपुरा, पटना द्वारा प्रस्तावित रूपबाला मेमोरियल ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, सीतामढ़ी का पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 87 (6), दिनांक 24.02.2015 के अनुपालन में निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष डा0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक, स्वा0से0, बिहार, पटना के पत्रांक 27 / उ0नि0को0, दिनांक 25.06.2015 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उसके अन्तर्गत की गयी अनुशंसाओं के आलोक में उक्त प्रशिक्षण स्कूल को ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2015–17) के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) उक्त संस्थान 6 माह के अन्दर भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(ख) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, सीतामढ़ी समय–समय पर गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) संस्थान द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997, एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्था की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल सीतामढ़ी (ii) सिविल सर्जन सीतामढ़ी तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

**(डा0 आर0डी0 रंजन)**

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं0सं0–6 / एन0–08–14 / 2014...827 (6)    पटना दिनांक 19/08/2015

**प्रतिलिपिः–** सचिव, स्वास्तिक कल्याण केन्द्र, जनक निवास, आनन्द बिहार, रूकनपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–**सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली / निबंधक, परिचारिका निबंधन परिषद बिहार, पटना / क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0से0 तिरहुत प्रमंडल सीतामढ़ी / सिविल सर्जन, सीतामढ़ी / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–**विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/15

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।